

कार्यालय संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक गांधी
स्मारक चिकित्सालय रीवा म.प्र.

निविदा



2021-2022

श्यामशाह चिकित्सा महाविद्यालय रीवा से सम्बद्ध गांधी स्मारक
चिकित्सालय/संजय गांधी स्मृति चिकित्सालय रीवा में
भर्ती मरीजों के लिये लगने वाली खाद्य सामग्री हेतु ई-निविदा
(प्रथम आमंत्रण)

कीमत रू. 5000/-
(रूपये पाँच हजार मात्र)

निविदा क्रमांक- 36 / 2020-21

ONLINE TENDER SCHEDULE

ई-निविदा क्र- 36/2021-22

SEQ NO	SCHEDULE	START DATE & TIME	EXPIRY DATE & TIME	ENVELOPES
1	PURCHASE OF TENDER ONLINE	14.12.2021 11.00 AM	03.01.2022 05.00 PM	
2	BID SUBMISSION ONLINE	14.12.2021 11.00 AM	03.01.2022 05.00 PM	
3	MANDATORY SUBMISSION OPEN	05.01.2022 12.30 PM		
4	TECHNICAL PROPOSAL OPEN	05.01.2022 12.35 PM	-	
5	FINANCIAL BID OPEN	पृथक से सूचना दी जावेगी।	-	

ईमेल:- jdsupdtgmhrewa@rediffmail.com, Fax-07662-242104

संपर्क:- 07662-242104, 9179705483, 9644695933, 7747078415, 9630518109

पोर्टल में ऑनलाईन अपलोड किए जाने वाले अनिवार्य दस्तावेजों की सूची-

पोर्टल में ऑनलाईन अपलोड किए जाने वाले दस्तावेजों की सूची:-

1. धरोहर राशि रूपये 350000.00 (तीन लाख पचास हजार रु) ऑनलाईन जमा की रसीद।
 2. मूल निविदा प्रपत्र हस्ताक्षर एवं सील सहित (Online purchased) सभी पृष्ठ
 3. फर्म/संस्था की स्थापना का पंजीयन प्रमाण पत्र।
 4. वित्तीय वर्ष, 2018-19 एवं 19-20 (एसेसमेंट ईयर 19-20 एवं 20-21) का आयकर रिटर्न जमा करने की स्वयं द्वारा सत्यापित छायाप्रति)
 5. 100 रु. के नॉन-ज्यूडिशियल स्टाम्प पर निर्धारित मूल नोटराईज्ड घोषणा पत्र
 6. पैन कार्ड
 7. जी.एस.टी. रजिस्ट्रेशन।
 8. वार्षिक टर्न ओवर संबंधी प्रमाण पत्र सी.ए. द्वारा जारी। (रु 25.00 लाख वार्षिक से कम नहीं होना चाहिये वित्तीय वर्ष 2019-20)
 9. खाद्य सामग्री के आदान प्रदान हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी खाद्य लायसेंस
- कार्यालय में भौतिक रूप से जमा किए जाने वाली सामग्री:-
1. पारदर्शी कंटेनरों में सूखी सामग्रियों का नमूना एवं उसकी सूची लिफाफा - ए
टीप- मांगे गए अनिवार्य दस्तावेज में से एक भी दस्तावेज कम पाए जाने पर निविदा निरस्त कर दी जावेगी।

07

ई-निविदा के नियम एवं शर्तें

1. श्यामशाह चिकित्सा महाविद्यालय रीवा से सम्बद्ध गांधी स्मारक/संजय गांधी स्मृति चिकित्सालय में भर्ती मरीजों के लिये लगने वाली खाद्य सामग्री हेतु वर्ष 2021-22 के लिये ई-निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा प्रपत्र वेबसाइट <https://mptenders.gov.in/> पर आनलाईन भुगतान कर क्रय किये जा सकेंगे। इसे चिकित्सा महाविद्यालय रीवा की वेबसाइट <http://www.ssmcrewa.com> में भी देखा जा सकेगा।
2. आनलाईन निविदा जमा करने की निर्धारित अवधि के पश्चात प्राप्त निविदाएँ स्वीकार नहीं की जावेगी। ऑनलाईन निविदा फार्म क्रय करने का मूल्य रु. 5000.00 निर्धारित हैं यह राशि किसी भी दशा में वापसी योग्य नहीं है।
3. निविदा के साथ अमानती राशि रूपये 350000.00 (तीन लाख पचास हजार रु) ऑनलाईन जमा करनी होगी। जिस निविदाकार की दरें स्वीकृत होंगी उनसे परफार्मेंस गारंटी के रूप में रु.350000.00(तीन लाख पचास हजार रु) अनुबंध करते समय डी.डी. के रूप में जमा करना अनिवार्य होगा। डी.डी. पर किसी भी प्रकार का ब्याज देय नहीं होगा।
4. **प्राइस बिड केवल ऑनलाईन ही भरी जावे तथा भारतीय मुद्रा में ही स्वीकार्य होगी।**
5. कृपया प्राइस बिड भरने के पहले समस्त दस्तावेज एवं स्पेशिफिकेशन ध्यानपूर्वक पढ़ एवं समझ लें, उसके पश्चात ही निविदा भरें।
6. निविदाकार को ऑनलाईन क्रय किए हुए निविदा प्रपत्र एवं उसके साथ संलग्न कागजातों के प्रत्येक पृष्ठ पर अपने हस्ताक्षर कर सील लगाकर अपलोड करना होगा।
7. चिकित्सालय की निविदा समिति को किसी भी अथवा समस्त निविदाओं को कारण बताकर अमान्य करने का अधिकार होगा।
8. सामान्यतः न्यूनतम मूल्य दर की निविदा को स्वीकार किया जावेगा, तथापि निविदा समिति शासनहित/जनहित में समग्र रूप से विचार करते हुये अन्यथा निर्णय लेने हेतु अधिकार सम्पन्न होगी।
9. निविदा अवधि एक वर्ष अथवा आगामी नवीन निविदा लागू होने तक प्रभावशील होगी। यदि राज्य शासन द्वारा इस संबंध में कोई योजना लागू की जाती है तो योजना के अनुसार ठेका अवधि बीच में भी समाप्त की जा सकती है।
10. सामान्यतः न्यूनतम मूल्य दर की निविदा को स्वीकार किया जावेगा, तथापि निविदा समिति शासनहित/जनहित में समग्र रूप से विचार करते हुये अन्यथा निर्णय लेने हेतु अधिकार सम्पन्न होगी।
11. समस्त खाद्य सामग्री का प्रदाय चिकित्सालय की पाकशाला भण्डार (किचेन) पर अधिकृत किये गये पदाधिकारी के लिखित/मौखिक/दूरभाष पर दिये गये आदेशानुसार प्रतिदिन निर्धारित समय के भीतर प्रदाय करना अनिवार्य होगा। प्रदाय की जाने वाली पैक सामग्री में पैकिंग की तिथि, वजन, एम.आर.पी. एवं उपयोग की तिथि की जानकारी निर्माता द्वारा मुद्रित/अंकित होना अनिवार्य है। बिना इनके सामग्री स्वीकार नहीं की जावेगी।
12. स्वीकृत निविदा प्रभावशील रहने की अवधि में जनहित की आवश्यकता के अनुरूप निविदा के निबंधन एवं शर्तों में परिवर्तन करने का अधिकार चिकित्सालय की निविदा समिति के पास सुरक्षित है।
13. देयकों का भुगतान शासन से बजट प्राप्त होने व कोषालय से आहरण के पश्चात किया जावेगा। जिसमें समय भी लग सकता है। किसी भी प्रकार अग्रिम भुगतान नहीं किया जावेगा तथा किसी भी राशि पर ब्याज देय नहीं होगा।

14. निविदाओं के संबंध में निविदा समिति का निर्णय सभी निविदाकारों को मान्य एवं बंधनकारी होगा।
15. सामग्री की मात्रा चिकित्सालय में भर्ती मरीजों की संख्या के अनुरूप घटाई एवं बढ़ाई जा सकती है।
16. प्रदाय की जाने वाली समस्त खाद्य सामग्री उच्च गुणवत्ता की होनी चाहिये। जिन सामग्री में एगमार्क उपलब्ध हो एगमार्क की ही दी जावें। प्रदाय सामग्रियों की गुणवत्ता की जांच हॉस्पिटल में पदस्थ अधिकारियों एवं फूड सेफ्टी ऑफिसर/स्टाफ द्वारा समय-समय पर की जावेगी। यदि गुणवत्ता में कमी पाई जायेगी तो अर्थदण्ड लगाया जावेगा तथा ठेका निरस्त किया जा सकेगा।
17. यदि निविदाकार मांग अनुसार सामग्री की पूर्ति करने में हीलाहवाली करता है, सामग्री गुणवत्ता पूर्ण नहीं पाई जाती है तो वैधानिक कार्यवाही की जा सकेगी तथा जमा अमानत राशि राजसात कर ली जावेगी।
18. प्रदाय की जाने वाली खाद्य सामग्री, सब्जियां, फल, मसाले इत्यादि उच्च गुणवत्ता युक्त होनी चाहिये। खराब सामग्री के कारण चिकित्सालय में भर्ती किसी भी मरीज को किसी प्रकार का नुकसान होता है तथा जांच में सिद्ध पाया जाता है तो उसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी निविदाकार की होगी। इस पर वैधानिक कार्यवाही भी निविदाकार के विरुद्ध की जावेगी।
19. खाद्य सामग्री की दरें निविदा स्वीकृति के समय तहसीलदार रीवा से प्राप्त दरों की सीमा के भीतर ही स्वीकार होंगी। तहसील दर से उपर की दरें प्राप्त होने पर न्यूनतम निविदाकार को तहसील दर पर ही खाद्य सामग्री प्रदाय करना अनिवार्य होगा अथवा उससे नीचे की दर मान्य होगी पर प्रदाय की जाने वाले सामग्री अच्छी गुणवत्ता की होनी चाहियें।
20. निविदाकार के पास खाद्य सामग्री के आदान प्रदान हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी खाद्य लायसेंस होना अनिवार्य है।
21. सभी विवादों का निपटारा रीवा स्थिति माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार अन्तर्गत होगा।

9/

13/11/17
 संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक
 गांधी स्मारक चिकित्सालय, रीवा म.प्र.

तकनीकी बिड हेतु प्रपत्र

स. क्र.	तकनीकी मापदण्ड हेतु अनिवार्य दस्तावेज	निविदाकार के द्वारा टिक किया जावे। पृष्ठ क. दर्शाये		परीक्षण समिति द्वारा टिक किया जावे।	
		हां	नहीं	हां	नहीं
1.	अमानत राशि रु. 350000.00 ऑनलाईन जमा करने की रशीद की छायाप्रति संलग्न				
2.	मूल निविदा प्रपत्र हस्ताक्षर एवं सील सहित(ऑनलाईन क्रय)				
3.	फर्म/दुकान की स्थापना के पंजीयन की छायाप्रति।				
4.	वित्तीय वर्ष, 2018-19 एवं 19-20 (एसेसमेंट ईयर 19-20 एवं 20-21) का आयकर रिटर्न जमा करने की स्वयं द्वारा सत्यापित छायाप्रति)				
5.	100.00 राशि के नॉन जूडिसियल स्टेम्प पेपर पर शपथ पत्र मूलतः				
6.	पैन कार्ड की छायाप्रति				
7.	जी.एस.टी. रजिस्ट्रेशन की छायाप्रति				
8.	वार्षिक टर्न ओवर संबंधी प्रमाण पत्र सी.ए. द्वारा जारी। (रु 20.00 लाख वार्षिक से कम नहीं होना चाहिये वित्तीय वर्ष 2019-20)				
9.	खाद्य सामग्री के आदान प्रदान हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी खाद्य लायसेंस				
10.	बन्द लिफाफे में पारदर्शी कंटेनरों में सूखी सामग्री के नमूने एवं उनकी सूची।				

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर

निविदाकर्ता का नाम

1. मोबाइल नं, बैंक का नाम एवं पता, खाता संख्या, आई.एफ.एस.कोड आदि

(स्पष्ट अक्षरों)

संस्था का नाम एवं पूर्ण पता एवं सील



-घोषणा-पत्र-

(100/- रुपये के नान-ज्यूडिसियल स्टाम्प पेपर पर प्रस्तुत किया जाये)

1. मैं/हम भारत का/के नागरिक हूँ/हैं।
2. मैं/हम भारतीय संविदा अधिनियम के अनुसार निविदा कार्य के लिए सक्षम हूँ/हैं।
3. मुझे/हमें म.प्र. शासन के किसी भी विभाग द्वारा निविदाकार्य से बहिष्कृत नहीं किया गया है।
4. मैं/हम किसी ऐसे कान्ट्रेक्टर, जो कि म.प्र. शासन के किसी विभाग द्वारा बहिष्कृत किया गया हो, न तो अभिकर्ता हूँ/हैं और न ही उसके लिये कार्य करता हूँ/करते हैं।
5. मेरे/हमारे द्वारा निविदा की शर्तों के अलावा अन्य कोई शर्तें प्रस्तुत नहीं की गयी है। यदि अन्य कोई शर्तें प्रस्तुत की गयी है, तो उसे अमान्य माना जाये।
6. श्यामशाह चिकित्सा महाविद्यालय/संजय गांधी स्मृति चिकित्सालय/गांधी स्मारक चिकित्सालय रीवा के किसी अधिकारी/कर्मचारी से संबंध नहीं है।
7. मेरे/हमारे द्वारा इस निविदा में भरी मूल्य दर से कम मूल्य दर की निविदा मध्यप्रदेश राज्य के किसी संस्था या कार्यालय में प्रस्तुत नहीं की गई है।
8. मेरे/हमारे द्वारा उपलब्ध कराई गई सामग्री की गुणवत्ता की संपूर्ण जिम्मेदारी मेरी/हमारी होगी।
9. हमारी संस्था के विरुद्ध सी.बी.आई0/लोकायुक्त/ई.ओ.डब्ल्यू/षासकीय कार्यालय इत्यादि में कोई जांच लबित नहीं है और न ही सक्षम न्यायालय मे आपराधिक प्रकरण दर्ज है और न ही दण्डित किया गया है।
10. मेरे/संस्था के उपर राज्य शासन/केन्द्र शासन को देय कोई भी कर बकाया नहीं है।
11. मेरे द्वारा प्रस्तुत जानकारी सही है। असत्य पाये जाने पर मेरे विरुद्ध विधिसम्मत कार्यवाही किए जाने पर मैं स्वयं उत्तरदायी रहूंगा।

दिनांक:

(निविदाकार के हस्ताक्षर एवं सील)

नाम-

पूरा पता-

फोन एवं मोबा. न.-

गवाहों के नाम, पते एवं हस्ताक्षर


1.

2.

3.

लिफाफा-ए नमूना हेतु

क.	सूखी सामग्री का नाम
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	
11.	
12.	
13.	
14.	
15.	



स्थान :-

दिनांक :-

निविदाकार के हस्ताक्षर
एवं सील

प्राइस बिड केवल आनलाईन भरा जावे

प्रदाय की जाने वाली सामग्री उच्च गुणवत्ता युक्त होनी चाहिए।

क्र.	वस्तु का नाम	अनुमानित मात्रा	दर अंको में प्रति इकाई(किंटल/नग/टिन आदि)	दर शब्दों में
	प्रवर्ग-1			
1.	गेहूं	400 किंटल		
2.	गेहूं का पिसा हुआ आटा 25 किलो की बोरी	500 किंटल		
3.	चावल	350 किंटल		
4.	दाल अरहर छिलकारहित	200 किंटल		
5.	दाल मूंग छिलका युक्त	75 किंटल		
6.	मसूर खड़ी	01 किंटल		
7.	चना दाल	15 किंटल		
8.	सफेद तिल	03 किंटल		
9.	गेहूं की पिसाई (आटा/दलिया सफाई एवं ढूलाई सहित)	400 किंटल		
10.	बेसन (चना)	02 किंटल		
	प्रवर्ग -2			
1.	हल्दी पिसी	06 किंटल		
2.	धनिया खड़ी	06 किंटल		
3.	जीरा खड़ा	03 किंटल		
4.	मैथी खड़ी	02 किंटल		
5.	नमक पिसा आयोडिन युक्त	35 किंटल		
6.	शक्कर रबेदार	30 किंटल		
7.	गुड़ सूखा पुराना	30 किंटल		
8.	भूजां चना	02 किंटल		
9.	मूंगफली दाना	10 किंटल		
11.	लाई मूरमूरा	02 किंटल		
12.	सूजी	01 किंटल		
13.	पोहा	30 किंटल		
14.	सोंठ	01 किंटल		
15.	चायपत्ती	03 किंटल		
16.	दूध पाउडर (अमूल)	01 किंटल		
	प्रवर्ग- 3			
1.	बैंगन	20 किंटल		
2.	लौकी	30 किंटल		
3.	कोहडा हरा	30 किंटल		
4.	आलू	30 किंटल		
5.	फूल गोभी	10 किंटल		
6.	पत्ता गोभी	10 किंटल		

7.	टमाटर पका	30 क्विंटल		
8.	पालक भाजी	10 क्विंटल		
9.	परवल	05 क्विंटल		
10.	बरबटी	05 क्विंटल		
11.	भिण्डी	05 क्विंटल		
12.	प्याज	30 क्विंटल		
13.	लहसुन	02 क्विंटल		
14.	मूली	05 क्विंटल		
15.	गाजर	05 क्विंटल		
16.	खीरा	20 क्विंटल		
17.	ककड़ी	05 क्विंटल		
18.	गिलकी (रिरूआ)	10 क्विंटल		
19.	चुकंदर	05 क्विंटल		
20.	हरी मिर्च	02 क्विंटल		
	प्रवर्ग-04			
1.	मुसम्मी (1 किलो मे 6 से 8 पीस तक)	200 क्विंटल		
2.	सेव फल (1 किलो मे 6 से 8 पीस तक)	200 क्विंटल		
3.	संतरा (1 किलो मे 6 से 8 पीस तक)	200 क्विंटल		
4.	केला पका (1 किलो में 7 से 8 पीस तक)	500 क्विंटल		
5.	पपीता	01 क्विंटल		
6.	डबल रोटी	05 क्विंटल		
7.	अण्डा (मुर्गी)	25000 नग		
8.	पंचमेवा (नारियल,छोहरा,मखाना,किशमिश,पोस्तादाना)	10 क्विंटल		
9.	बिस्कुट (पार्ले-जी बंद पैकेट)	100 क्विंटल		
10.	बिस्कुट (ब्रिटानिया बंद पैकेट)	100 क्विंटल		
10.	टोस्ट	20 क्विंटल		
	प्रवर्ग-5			
1.	दूध 5 प्रतिशत चिकनाई	50000 लीटर		
2.	पनीर	01 क्विंटल		
3.	मठ्ठा	02 क्विंटल		
	प्रवर्ग-6			
1.	खाद्य तेल (रिफाइंड एगमार्क सील्ड पैक 15 लीटर)	300 टिन		
	1. फारचून			
	2. सरसों तेल पतंजली			
	3. सरसों तेल सिक्का			
	4. सरसों तेल तेज			
2.	नारियल तेल (सील बंद एगमार्क)	50 लीटर		

9/

3.	देशी घी (सील बंद एगमार्क)	1500 लीटर		
	1. अमूल			
	2. कृष्णा			
प्रवर्ग-7 कोविड-19 मरीजों हेतु				
	1. डिस्पोजेवल थाली 08 खंधा वाली ढक्कन युक्त	20,000 नग		
	2. डिस्पोजेवल थाली 05 खंधा वाली ढक्कन युक्त	15000 नग		
	3. डिस्पोजेवल कटोरी मिडियम साईज	10000 नग		
	4. डिस्पोजेवल गिलास	60000 नग		
	5. डिस्पोजेवल कप चाय हेतु	10000 नग		
	6. रवर बैंड बडे साईज	100 पैकेट		
	7. पीने हेतु बंद बोतल में पानी- 1 लीटर पैकिंग, धारा, बिस्लरी, सोनांचल जला	60000 लीटर		
	8. सिल्वर पेपर	200 बंडल		
	9. डिस्पोजेबल चम्मच	10000 नग		

नोट:-उपरोक्त सामग्री की मात्रा एक वर्ष के लिये अनुमानित है। चिकित्सालय में भर्ती मरीजों की संख्या के अनुरूप सामग्री घटाई एवं बढ़ाई जा सकेगी।



स्थान :-
दिनांक :-

निविदाकार के हस्ताक्षर
एवं सील